राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः– प.24(12)साप्र/2/2012 दिनांकः 5.12.2012

समस्त संभागीय आयुक्त/
समस्त जिला कलेक्टर।

वर्तमान राज्य सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर दिनांक 13.12.2012 को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सभी विभागों के उत्तरदायित्वों के संबंध में दिनांक 2.12.2012 को विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके है।

चूंकि प्रमुख कार्य जिला कलेक्टर्स के द्वारा समन्वय कर सम्पन्न कराये जाने है। अतः पुनः निवेदन है कि पूर्व में जारी निर्देशों अनुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें।

पूर्व में निम्नलिखित कार्य हेतु पंचायती राज विभाग को उत्तरदायित्व दिया गया था लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अब निम्न कार्य भी पूर्व में निर्धारित किये कार्यो के साथ जिला कलेक्टर्स के द्वारा सम्पन्न कराये जाने है:–

1. सभी जिलों में समारोह हेतु प्रमुख एजेन्सी के रुप में कार्य करना।
2. सिटिंग प्लान, डायस प्लान व समारोह की रुप रेखा वक्ताओं का चिन्हिकरण तथा समारोह का मिनट–टू–मिनट कार्यक्रम तैयार करना।
3. समारोह/आयोजन की व्यवस्था करना टेन्ट, कुर्सी, भोजन पैकेट, पेयजल आदि की व्यवस्था करना व सुचारु वितरण करना तथा इस हेतु हुये व्यय को प्रमाणित करा, भुगतान करा सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत कराना। यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबन्धन प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।
4. माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा लिखे गये पत्रों को सभी संबंधित को पहुँचवाने की व्यवस्था को सुनिश्चित कराना।

कृपया समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(चन्द्रमोहन मीना)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण।
5. विशिष्ठ सहायक/निजी सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
6. समस्त शासन सचिव ....
7. समस्त संबंधित विभाग ....
8. गार्ड फाईल।

(राजीव जैन)
शासन उप सचिव